infoedge

Date: September 11, 2026

1. **The Manager- Listing**
   National Stock Exchange of India Limited
   (Scrip Symbol: NAUKRI)

2. **The Manager-Listing**
   BSE Limited
   (Scrip Code: 532777)

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Publication for Notice of Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the e-copies of the newspaper publication for Notice to shareholders w.r.t. transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund, published pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6(3) of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017, in the following editions: -

- Business Standard (National Daily newspaper) on September 11, 2026
- Business Standard (Daily newspaper of the State) on September 11, 2026

A Copy of the same is being uploaded on the website of the Company at www.infoedge.in

Kindly take the same on record.

Yours faithfully,
For **Info Edge (India) Limited**

Jaya Bhatia
Digitally signed by Jaya Bhatia
Date: 2026.09.11 12:38:18 +05'30'

Jaya Bhatia
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: a/a

Bracing for a dull sparkle

Food inflation could remain elevated through the festival season amid uneven monsoon rains, kharif crop uncertainties and El Niño risks

SANJEEB MUKHERJEE
New Delhi, 10 September

India's festival season, which kicks off this year with Ganesh Chaturthi on September 14, tends to involve months of gastronomical excess. This year, though, the festival meals may have to be a tiny bit frugal.

Last week, the United Nation's Food and Agricultural Organisation's or FAO's monthly global food price tracker rose to its highest level since 2022 in August 2026, largely on account of impending El Niño-induced shortages and continuing supply disruptions due to the West Asia war.

The FAO's Food Price Index, which tracks monthly changes in a basket of internationally traded food, averaged 133.3 points in August 2026, up from July's reading of 130.8. The August reading is the highest since November 2022, but still 17 per cent below the record of March 2022, a month after Russia's invasion of Ukraine.

Climate shocks, geopolitical tensions, and disrupted trade are converging to tighten supplies in the food market, FAO chief economist Maximo Torero warned.

In India, food prices have started showing a distinct upward tick over the last few weeks, driven by concerns over final kharif crop output and an uneven southwest monsoon in 2026.

Aditi Nayyar, chief economist at Icra rating agency, said sub-par monsoon rains have impacted the sowing of some kharif crops and taken down water reservoir levels to below historical averages.

"(This) may eventually weigh on rabi sowing and output. Overall, this is likely to exert an upward pressure on food prices in H2FY2027," she said.

While the rains recovered to an extent in July and August, after a poor showing in June, long pauses in some parts have kept the overall shortfall at close to 15 per cent so far, with wide variations in regional rainfall — from 2 per cent above normal in parts of Maharashtra to 48 per cent below normal in Rayalaseema from June 1 to September 9.

Kharif sowing, which had been lagging until June-end, picked up pace in July and August. Acreage of all crops through August was only around 1.7 per cent lower than last year and 3 per cent less than the average of the past five years.

Harsh Vardhan Bhagchandka, president, IPL Biologicals Ltd, an agricultural biotechnology company, said the kharif season has seen a meaningful recovery over the past few weeks, with the sowing gap with the previous year narrowing to around 2 per cent by mid-August as the monsoon gained momentum.

"The improvement is encouraging, particularly as acreage under pulses, oilseeds and cotton has moved much closer to last year's levels. However, rice acreage continues to remain below the previous year, and the recovery has not been uniform across crops or regions," Bhagchandka said.

On a granular level, data showed that till August 28, acreage under urad, cotton and soybean was significantly lower than in the preceding five years.

Those three crops are actually where the real impact of inflation could show up in the coming months; of course, the weather — specifically, El Niño — will have an outsized role in that matrix.

According to Bhagchandka, though, the recovery in sowing only changes the nature of the concern rather than eliminating it. The question is no longer simply how much area has been sown, but how well pulses, oilseeds, and cotton perform through the remainder of the season.

"A late-sown crop can still face consequences if its critical growth and reproductive stages coincide with periods of inadequate soil moisture, excessive rainfall or other weather stress. Therefore, acreage recovery is certainly positive, but it should not by itself be interpreted as a guarantee of a comparable harvest," he said.

He added that the revival in rainfall has provided an opportunity for farmers to stabilise crop establishment and recover some of the yield potential that appeared to be at risk earlier in the season. Nonetheless, cumulative monsoon rainfall remains below normal, which means the distribution and continuity of rainfall through the remaining crop cycle — running from June to September — will be critical.

"From an agricultural industry perspective, this is where the focus must now shift from acreage to crop health, soil moisture, and nutrient-use efficiency. Farmers will need to manage their crops carefully through the flowering, pod formation, and grain-filling stages, particularly in areas that experienced delayed sowing or uneven rainfall," Bhagchandka said.

He said the focus now must move from how much has been sown to how well the crop is able to convert that acreage into yield.

On the inflation front, early indications are that the prices of most kharif crops were higher than their minimum support prices (MSPs), which should augur well for farmers. Consumers, though, could feel some pain going into the festival season.

Data from the ministry of consumer affairs shows that the retail price of a kilogramme of *tur dal* on September 9 was around 6.72 per cent more than a year ago, while a kilo of urad dal was 7.58 per cent dearer. The retail price of 1 kg of packaged groundnut oil on September 9, 2026 was almost 11.44 per cent more than on the same date last year, while soybean oil was around 12.51 per cent costlier.

Furthermore, rice prices were around 7.74 per cent higher on September 9, compared with the same date last year, while onion was almost twice as much – 90 per cent more, to be precise.

Sugar inflation climbed 4.92 per cent in July 2026 on an annualised basis, compared with 4.61 per cent in January 2026. This was before the August spike when retail sugar prices touched an all-time high of almost ₹70 per kg. The average retail price of a kilogram of sugar on September 9 was almost 30 per cent higher than the same date last year. Egg inflation has risen from around 6.77 per cent in January 2026 to 12.49 per cent in July 2026, while onion inflation has jumped from negative 29.3 per cent in January to almost 22.54 per cent in July.

Overall, data sourced from the ministry of statistics and programme implementation (Mospi) showed that food inflation has gone from a low of around 2.13 per cent in January 2026 to 5.52 per cent in July 2026. If early September trends are any indicator, prices are unlikely to cool in the next month, either. And elevated global prices mean imports won't be any cheaper either.

Madan Sabnavis, chief economist at Bank of Baroda, said it would be difficult to assess the kharif crop outlook until the harvest begins.

However, the delayed sowing of several crops, particularly cereals, is likely to push back harvesting in many areas.

"For single-season crops, this could create an upward pressure on prices as existing stocks will have to meet demand for a longer period until the fresh crop arrives. So, overall, there is likely to be a tendency for prices to rise rather than decline, at least for these crops," Sabnavis said.

He said prices of vegetables and fruits would remain more seasonal and volatile, depending on crop-specific developments.

Government measures such as releasing stocks could help contain the extent of price increases, but would not necessarily bring prices down. "Ultimately, we will have to wait for the fresh crop to arrive, which is likely to happen around October-November," he said.

On the outlook for Diwali, Sabnavis said consumers could face higher food prices, with food inflation likely to be around 5.5-6 per cent in the coming months.

"Going into October, prices are likely to remain elevated, and conservatively speaking, food inflation of around 5.5-6 per cent looks very much on the cards."

The recent surge in sugar prices is expected to materially harden the inflation prints for the sugar, confectionary and desserts segment in the near term, Crisil's Nayyar said, adding that inflation in select items such as edible oils and eggs is also likely to remain elevated over the next few months.

"While retail inflation in the food and beverages segment is projected to inch up slightly to about 5.4 per cent in August 2026 from 5.2 per cent in July 2026, it is set to escalate sharply thereafter, crossing the 7 per cent-mark in October 2026," noted Nayyar.

"This hardening is partially expected to be driven by a low base across some food segments such as vegetables and pulses, as well as some packaged food items, with the latter largely stemming from the impact of the GST rate cuts in September 2025."

With El Niño threatening to upset the weatherman's calculations for the next few months, it remains to be seen whether food prices climb down around Diwali or whether elevated levels push down some of the festival cheer.

Price pinch Food inflation (in %)

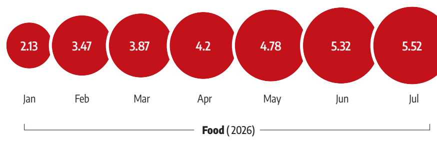

2026	Sugar	Milk (liquid)	Eggs	Tomato	Onion	Potato
Jan	4.61	2.89	6.77	64.58	-29.3	-28.98
Feb	3	2.94	6.74	45.18	-28.2	-18.47
Mar	1.91	2.91	5.52	36	-27.78	-19.03
Apr	1.44	2.88	5.32	35.26	-17.67	-23.66
May	1.61	2.87	5.46	48.43	-2.25	-23.71
Jun	2.17	3.63	6.46	31.92	4.73	-20.34
Jul	4.92	3.85	12.49	-4.59	22.54	-16.56

Note: Base year is 2024
Source: CMIE, MoSPI

कब्जा सूचना

जबकि, मुथूट हाउसिंग फाइनैंस कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("उक्त अधिनियम') के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("उक्त नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदार, गारंटरों और बंधकदाताओं से उक्त सूचना में वर्णितानुसार लैन के तहत बकाया राशि चुकाने की मांग की गई थी जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

और जबकि बाद में, मुथूट हाउसिंग फाइनैंस कंपनी लिमिटेड ने दिनांक 31–03–2023 के समनुदेशन अनुबंध के माध्यम से कर्जदार/गारंटर द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वत्वाधिकार, ब्याज और लाभ, मुथूट हाउसिंग फाइनैंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न होने वाले अंतर्निहित प्रतिभूतियों सहित असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिए हैं, जो प्रतिभूति रसीदों के धारकों के लाभ के लिए आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो–086–ए–ट्रस्ट ("आर्सिल") के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रही है। इसलिए, उक्त समनुदेशन के दृष्टिगत, आर्सिल अब मुथूट हाउसिंग फाइनैंस कंपनी लिमिटेड के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और आर्सिल कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता के विरूद्ध सभी और किसी भी कार्यवाही को शुरू करने/जारी रखने और प्रतिभूति हित प्रवर्तन सहित कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता द्वारा उनके द्वारा प्राप्त की गई उक्त सुविधाओं संबंध में निष्पादित और सृजित वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकारों और लाभों को लागू करने की हकदार होगी।

उक्त कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता द्वारा उक्त राशि का भुगतान न किए जाने के कारण, कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी, आर्सिल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथि को "जैसी है जहां है तथा जो भी वहां है आधार पर" नीचे वर्णित अचल संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार तथा गारंटरों का नाम	मांग सूचनाध	कब्जा की तिथि
1.	15100005130 श्री महेश कुमार जवाहर प्रसाद और सुश्री अंजनी कुमारी	रु. 10,16,590.92/– (केवल दस लाख सोलह हजार पांच सौ नब्बे रुपये और बानवे पैसे) सूचना की तिथि : 04–दिसंबर–2023	भौतिक कब्जा 09–सितंबर–2026
	संपत्ति का विवरण : संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्लैट नंबर बी 304, बी–ब्लॉक, द्वितीय तल, एरिया 750 वर्ग फीट 83.33 वर्ग गज यानी 69.67 वर्ग मीटर और सुपर बिल्ट अप एरिया 69.67 वर्ग मीटर, जो फ्री होल्ड आवासीय प्लॉट पर बना है, जो खसरा नंबर 291 का अंश है जो रॉयल रेजिडेंसी, गिरधरपुर सुनारसी, परगना और तहसील – दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिस पर मकान बना है और निम्नानुसार सीमाबद्ध हैः पूरब में : फ्लैट नंबर बी–301, पश्चिम : रास्ता 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : फ्लैट नंबर बी–303, दक्षिण : अन्य की संपत्ति जिसे आगे "अचल संपत्ति" कहा गया है।		

उक्त कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि ऊपर वर्णित अचल संपत्ति पर आर्सिल का वैध कब्जा है तथा सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13(13) के तहत कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता या कोई भी व्यक्ति इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा सौदा/हस्तांतरण के माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा तथा अचल संपत्ति के साथ कोई भी सौदा ऊपर उल्लेखित राशि के साथ–साथ उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि हेतु आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदारों/गारंटरों/बंधकदाताओं का ध्यान, उपरिवर्णित अचल सम्पत्ति छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : उत्तर प्रदेश
तिथि : 11–09–2026

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो–086–ए–ट्रस्ट की ट्रस्टी

Arcil Premier ARC

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
आर्सिल के विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत
आर्सिल कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (प.) मुंबई–400028
वेबसाइट : www.arcil.co.in सीआईएन : U65999MH2002PLC134884

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड (इंडियाबुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड) (CIN:U74899 DL1994PLC062407) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **पूनम गुप्ता प्रोप्राइटर मेसर्स द गुप्ता एम्पायर, शिवम गुप्ता, नीतीश गुप्ता, रमेश चंद गुप्ता, अनीता गुप्ता और सुभाष चंद गुप्ता** को **23.07.2024** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HILAHDW00433845** की राशि **रू. 1,56,82,504.83 (रूपये एक करोड़ छप्पन लाख बयासी हजार पाँच सौ चार और तिरासी पैसे मात्र)** और **22.07.2024** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **07.09.2026** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 1,56,82,504.83 (रूपये एक करोड़ छप्पन लाख बयासी हजार पाँच सौ चार और तिरासी पैसे मात्र) 22.07.2024** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

वस्तु नं. 1:

भूमि के एक हिस्से पर निर्मित मकान एमपीएल डिमांड नं. 74/71, मापित पूर्व में 23 फीट 6 इंच, पश्चिम में 23 फीट 9 इंच और उत्तर दिशा में 66 फीट 9/3.4 इंच, दक्षिण में 66 फीट 6 इंच, कुल 1580.9 स्क्वे. फीट, कुल कवर्ड क्षेत्रफल 1147.3 स्क्वे. फीट, मोहल्ला नील खुडाना पर, इंटर कॉलेज नं.10 के पास , ज्वालापुर, हरिद्वार- 249407, उत्तराखंड ।

संपत्ति के मालिक : **रमेश चंद गुप्ता**

सीमा:
पूर्व : कॉमन रोड — पश्चिम : श्री जयकृष्ण वर्मा की ज़मीन
उत्तर : विक्रेता का घर — दक्षिण : रामेश्वर लाल गुलाटी का घर

मद नं. 2:

भूमि के एक हिस्से पर निर्मित मकान एमपीएल डिमांड नं. 74/71, माप पूर्व में 23 फीट 6 इंच, पश्चिम में 23 फीट 9 इंच और उत्तर दिशा में 66 फीट 10/1.2 इंच, दक्षिण में 66 फीट 9/3.4 इंच, कुल 1580.9 स्क्वे. फीट, कुल आच्छादित क्षेत्रफल 1147.3 स्क्वे. फीट, मोहल्ला नील खुडाना पर, इंटर कॉलेज नं.10 के पास, ज्वालापुर, हरिद्वार- 249407, उत्तराखंड

संपत्ति के मालिक : **सुभाष चंद गुप्ता**

सीमा:
पूर्व : कॉमन रोड — पश्चिम : श्री जयकृष्ण वर्मा की ज़मीन
उत्तर : बलराज गुलाटी का मकान — दक्षिण : रमेश चंद गुप्ता का मकान

कुल मापित भूमि क्षेत्रफल 3161.80 स्क्वे. फीट

सही/-
दिनांक : 07.09.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : हरिद्वार — **धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड**
(पूर्व में आईवीएल फाइनेंस लिमिटेड और इंडियाबुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड)

---

infoedge

इन्फो एज (इण्डिया) लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1995PLC068021 | पंजीकृत कार्यालय : जीएफ-12ए, 94, मेघदूत भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19
कॉर्पो. कार्यालयः बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश) | दूरभाष : +91-120-3082000; फैक्सः +91-120-3082095
वेबसाइट : www.infoedge.in; ई-मेल : investors@naukri.com

सूचना
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के अवधानार्थ)
विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और अन्य लागू प्रावधानों, (यदि कोई हो), के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर संशोधित ('नियम') के अनुसार जारी की जाती है। नियमों में अन्य बातों के अलावा, अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने और उन शेयरों को आईईपीएफ को हस्तांतरित करने के प्रावधान शामिल हैं, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अवैतनिक या दावा न किया गया हो।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने पहले ही संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है, जिनके शेयर उक्त नियमों के तहत उचित कार्रवाई के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट **www.infoedge.in** पर भी अपलोड किया गया है। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नियत तिथि से पहले या उस तिथि तक अपने अप्राप्त लाभांश का दावा करें, अन्यथा नियत तिथि के बाद शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

जिन संबंधित शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने हैं, वे कृपया ध्यान दें कि कंपनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके पास मौजूद मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। ऐसे जारी होने पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएगा और उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो कंपनी डिपॉजिटरी को कॉर्पोरेट कार्रवाई के रूप में उचित निर्देश देगी ताकि डिपॉजिटरी उक्त शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित कर सकें।

शेयरधारक यह भी ध्यान दे कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी को कंपनी द्वारा नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण हेतु जारी किए गए डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरण के बाद, कंपनी पर हस्तांतरित किए गए अप्रयुक्त लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों के संबंध में कोई दावा नहीं होगा।

कृपया ध्यान रहे कि पहले से अंतरित दावा-रहित अथवा अप्रदत्त लाभांश अथवा ऐसी शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित आईईपीएफ प्राधिकरण में कम्पनी द्वारा अंतरित की जा रही शेयरों को शेयरधारक उसकी वेबसाईट अर्थात् **http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html** पर दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ से वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। पुनः कम्पनी के पास पड़ी दावा-रहित लाभांश का दावा करने अथवा यदि आपको किसी जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे आरटीएः मैसर्स एमयूएफजी इनन्टाइम इंडिया प्रा. लि., नॉबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट एनएच-2, सी-1, ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, टेली.: 011-49411000, ईमेलः **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com** को लिखे अथवा संपर्क करें।

कृपया अपने सभी संचार में निम्नलिखित विवरण प्रदान करेंः 1. कंपनी का नाम, 2. फोलियो नंबर या डीपी और क्लाइंट आईडी, 3. शेयरधारक का नाम, 4. संपर्क नंबर, 5. ईमेल आईडी। साथ ही, शेयरधारकों के स्व-सत्यापित केवाईसी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, रद्द किया गया चेक लीफ, पते के प्रमाण के रूप में नवीनतम उपयोगिता बिल और विधिवत स्व-सत्यापित तथा डीपी द्वारा हस्ताक्षरित सीएमएल भी प्रदान करें।

निदेशक मंडल के आदेश से,
इन्फो एज़ (इंडिया) लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
तिथिः 10 सितम्बर, 2026 — **जया भाटिया**
स्थानः नोएडा — **कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी**
सदस्यता सं. : A33211

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालयः
आरके टॉवर ऑफिस कॉम्प्लेक्स, वुडरो स्कूल के सामने, पीलीभीत बाईपास रोड़, बरेली 243006.

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि किश्त/ब्याज/मूल ऋण का भुगतान न करने के कारण, नीचे उल्लिखित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत देय ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित संपूर्ण बकाया राशि उनके अंतिम उपलब्ध पते पर पंजीकृत डाक से मांगी थी लेकिन नोटिस या तो बिना सुपुर्दगी लौटा दी गई थी या उनकी पावती प्राप्त नहीं हुई थी और इस तरह उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है। हम एतद्द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधकदारों से इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर, पूर्ण भुगतान होने तक अनुबंधित दर पर और ब्याज के साथ नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहते हैं। डिफॉल्ट रूप से, कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, बैंक वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के तहत प्रदान की गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा रखता है। सुरक्षित ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक द्वारा लागू की जाने वाली सुरक्षित आस्तियों का विवरण भी नीचे दिया गया है।

शाखा का नाम एवं ऋणी/ गारंटर का नाम व पता,	सरफेशी एक्ट 2002 के अंतर्गत मांग नोटिस की तिथि व राशि	सम्पत्ति का विवरण
उधारकर्ताः मेसर्स राज किराना स्टोर, प्रो. अंजू गुप्ता, फल मंडी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश–262701. उधारकर्ताः श्रीमती . अंजू गुप्ता पत्नी श्री आनंद कुमार, मकान नं. 50, मोह–घसियारी मंडी, फल मंडी, लखीमपुर खीरी– 262701. जमानतकर्ताः श्री राजीव कुमार पुत्र श्री हरीश नारायण, मकान नं. 265, मो0–मिहसराना, लखीमपुर खीरी– 262701. जमानतकर्ताः श्रीमती कमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राधे श्याम गुप्ता, मकान नं. 182 मोह–सब्जी मण्डी, लखीमपुर खीरी–262701. खाता संख्याः 87001250001445. शाखाः लखीमपुर खीरी (डीपी कोड 2910).	रूपये 61,51,264.66 + ब्याज व अन्य खर्चे। मांग नोटिस तिथिः 07.09.2026 एनपीए तिथिः 29.02.2016	भूमि और ईमारत, मोहल्ला घसियारी मंडी (जिसे अब घास मंडी के नाम से जाना जाता है), सिटी और तहसील लखीमपुर, जिला खीरी (पिनकोड 262701) में स्थित, जिसका क्षेत्रफल – 42.87 वर्ग मीटर, जोकि श्रीमती कमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राधे श्याम, चौहद्दीः (विक्रय विलेख के अनुसार)ः उत्तर– श्री घन श्याम का घर, दक्षिण– श्री मिर्जा जाफर बेग का घर, पूर्व– सहन, दरवाजा और रास्ता, पश्चिम– श्री बाबू राम सहाय और श्री बलदेव प्रसाद का घर। CERSAI ID : 200111501043.

दिनांकः 11.09.2026 — स्थानः लखीमपुर खीरी — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक।

सम्मन मुददालय

न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) चतुर्थ बरेली। वाद संख्या 121 सन 2022 केनरा बैंक बनाम श्रीमती उर्मिला मौर्या बनाम श्रीमती उर्मिला मौर्या उम्र वालिग पत्नी स्व० पुष्पेन्द्र निवासी 424 नवादा शेखान परगना तहसील व जिला बरेली। चूकि मुसम्मी ने आपके नाम एक नालिश वास्ते के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म दिया जाता है कि आप बतारीख 16/09/20 असालतन या मारफत किसी वकील के जो हालात मुकदमा से बखूबी वाकिफ हो मय कागजात मुतलका के हाजिर हो वरना आपकी गैरहाजिरी में मुकदमा हाजा फैसला होगा।

आज बतारीख 8/9/26 मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से जारी किया गया। **न्यायालय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) चतुर्थ बरेली।**

ANANDRATHI GLOBAL FINANCE

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड
एक्सप्रेस जोन, बी विंग, 5वां तल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मलाड (पूर्व), मुंबई – 400097

माँग सूचना

जबकि यहां नीचे तालिका में उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं ने आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की है। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी, उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज एवं मूलधन राशि के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूकें की हैं। फलतः खाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार यहां नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत, सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत यहां इसमें निम्न तालिका में उल्लिखित संबंधित तिथियों पर माँग सूचनायें निर्गत की हैं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं को सूचना में उल्लिखित राशि का, भुगतान की तिथि तक, सूचनाओं में अंकित राशि पर संविदागत दर पर नियत भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ, सूचनाओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम / पते	बकाया राशि : रु. 50,45,195/–		बकाया राशि : रु. 21,68,088/–		बकाया राशि : रु. 25,37,133/–	
1. **रजत इलेक्ट्रिकल्स (उधारकर्ता)** एफ–12/13, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110051, 2. **हरीश गुप्ता (सह–उधारकर्ता)** एफ–12/13, कृष्णा नगर, एच.ओ., पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110051, 3. **आरती गुप्ता (सह–उधारकर्ता)** एफ–12/13, कृष्णा नगर, एच.ओ., पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110051, 4. **दिल्ली लाइटिंग इंडस्ट्रीज** (सह–उधारकर्ता) एफ–12/13, कृष्णा नगर, एच.ओ., पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110051, **अन्य पता :** बी–25–बी, पूर्वी आजाद नगर, दिल्ली–110051, 5. **मैसर्स इवेंट लजा,** एफ–12/13, कृष्णा नगर, एच.ओ., पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110051, 6. **मैसर्स यूनियन एंटरप्राइजेज,** एफ–12/13, कृष्णा नगर, एच.ओ., पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110051, 7. **रजत गुप्ता,** एफ–12/13, कृष्णा नगर, एच.ओ., पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110051, **संपत्ति पता :** सं. एफ–12/13 धारक संपत्ति का बंधक जो (ब्लॉक–एफ भूखंड सं. 13) में, अधिमापन 101.2/3 वर्ग गज अर्थात् 85 वर्ग मीटर, डीएलएफ कॉलोनी की आबादी में जो कृष्णा नगर के नाम से प्रसिद्ध है, ग्राम घोंडली के क्षेत्र, इलाका शाहदरा, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110051 में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित है, **सीमाएँ :– उत्तर :** संपत्ति सं. एफ–12/12, **दक्षिण :** उक्त संपत्ति का शेष भाग, **पूर्व :** सड़क, **पश्चिम :** संपत्ति सं. एफ–11/13	आरओआई	13.50%	आरओआई	13.50%	आरओआई	14.00%
	बकाया मूलधन	4,686,110	बकाया मूलधन	2,131,605	बकाया मूलधन	2,460,062
	लंबित ईएमआई राशि	295,200	लंबित ईएमआई राशि	-	लंबित ईएमआई राशि	37,365
	खंडित अवधि का ब्याज	5,272	खंडित अवधि का ब्याज	22,382	खंडित अवधि का ब्याज	26,787
	अति देय ब्याज	42,513	अति देय ब्याज	3,571	अति देय ब्याज	4,061
	सूचना शुल्क	1,100	सूचना शुल्क	-	सूचना शुल्क	-
	ईएमआई बाउंस प्रभार	15,000	ईएमआई बाउंस प्रभार	10,530	ईएमआई बाउंस प्रभार	8,858
	कुल बकाया	**50,45,195**	कुल बकाया	**21,68,088**	कुल बकाया	**25,37,133**
	APPL00008772 रू. 52,50,000/-		APPL00013498 ऋण राशि : 23,00,000/-		APPL00020240 ऋण राशि : 26,00,000/-	
	एनपीए तिथि : 03-09-2026			माँग सूचना की तिथि : 07-09-2026		

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्द्वारा ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अदर भविष्य के ब्याज एवं लागू शुल्कों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समापन के पश्चात्, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) तथा वहां उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अंतर्गत उधारकर्ताओं एवं बंधककर्ताओं की प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के समक्ष अग्र कार्रवाइयां की जायेंगी। यदि आप इस सूचना के प्रत्युत्तर में कोई भी अभ्यावेदन देने के इच्छुक हैं, तो कृपया इसे हमारे प्राधिकृत अधिकारी श्री अभिषेक चंद को आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, 8वां तल, "ए" विंग, एक्सप्रेस जोन बिल्डिंग, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रोड, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063 के पते पर भेजें, ताकि इससे हम समय पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकें। कृपया ध्यान दें कि हम उस स्थिति में इस सूचना के प्रत्युत्तर में आपके किसी भी अभ्यावेदन का प्रति उत्तर न देने के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे, यदि प्रत्युत्तर किसी अन्य व्यक्ति अथवा स्थान को संबोधित होता है। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत, कोई भी उधारकर्ता, प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं करेगा।

दिनांक : 07–09–2026, स्थान : दिल्ली — हस्ता./–, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

SBI

भारतीय स्टेट बैंक

ऋणग्रस्त परिसंपत्तियाँ वसूली शाखा, #40 एसडीए कॉम्प्लेक्स, आंचलिक कार्यालय भवन, कसुम्पटी, शिमला–171009, दूरभाष सं.: 0177–2626796, 2626795, ई–मेल : sbi.18185@sbi.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना

ईएमडी तथा दस्तावेजों को अग्रिम रूप से (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना के नियम 8(6) का प्रावधान देखें

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सामान्य जनता को तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) और गारंटीदाता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित/रहण/दृष्टिबंधक नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियों, जिसका रचनात्मक / भौतिक (जो भी लागू हो) कब्जा भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, की बिक्री प्रत्येक खाते के सामने उल्लेखितानुसार प्रतिभूत ऋणदाता को ऋणधारक/ऋणधारकों और गारंटीदाता/गारंटीदाताओं की ओर से देय राशियों की वसूली के लिए **"जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" तथा "वहां जो कुछ भी है उस आधार पर"** की जाएगी। आरक्षित मूल्य, बयाना जमा राशि (ईएमडी) तथा बोली वृद्धि राशि वह होगी जिसका उल्लेख प्रत्येक खाते के सामने किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **https://www.sbi.co.in** पर उपलब्ध कराए गए लिंक को देखें।

क्र. सं.	ऋणधारक(कों) / गारंटीदाताओं के नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**ऋणधारक(गण) :– (1) मैसर्स सिल्की फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स,** गांव बेला बाथड़ी, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश–174301 **(2) श्री पार्थ कुमार वर्मा** (प्रोप्राइटर) पुत्र श्री शिव कुमार वर्मा, मकान संख्या सी–150, विकासपुरी, नई दिल्ली – 110018 **(3) श्री पार्थ कुमार वर्मा,** निवासी बी–347, एनआरआई सिटी, ओमेगा–2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201310, **गारंटीदाता(गण) :– (1) श्री शिव कुमार वर्मा** पुत्र श्री पूरन चंद वर्मा, मकान संख्या सी–150, विकासपुरी, नई दिल्ली – 110018 **(2) श्रीमती नीलम वर्मा** पत्नी श्री शिव कुमार वर्मा, मकान संख्या सी–150, विकासपुरी, नई दिल्ली – 110018 **(3) श्रीमती नीलम वर्मा** पत्नी श्री शिव कुमार वर्मा, निवासी बी–347, एनआरआई सिटी, ओमेगा–2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201310	भूमि एवं भवन जिसका क्षेत्रफल 0–22–00 हेक्टेयर है, जिसमें खेवट संख्या 433, खतौनी संख्या 488, खसरा संख्या 50 शामिल है, जैसा कि वर्ष 2020–2021 की जमाबंदी में दर्ज है, जो मोहाल बाथड़ी बेला, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।	रु. 2,08,12,000/– तिथि 30.06.2019 के अनुसार तथा राशि पर भावी ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार आदि। (भौतिक कब्जे के अंतर्गत)	30.09.2026 मध्या. 11:00 से अपराह्न 16:00 बजे
	• आरक्षित मूल्य : रु. 45,60,000/– • ईएमडी राशि : रु. 4,56,000/– • बोली वृद्धि राशि : रु. 20,000/– निरीक्षण की तिथि : 23.09.2026			

यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उपरोक्त ऋणधारकों एवं गारंटीदाताओं के लिए 15 दिनों की सूचना है।

नियम एवं शर्तें :– ई–नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता :– **मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड** के माध्यम से उसकी नीलामी साइट पर आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन ई–नीलामी बोली फार्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों तथा शर्तों वाले ई–नीलामी निविदा दस्तावेज उपलब्ध हैं। इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टल (लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से नाम पंजीकृत करके उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से अपनी ईएमडी (जैसा कि ऊपर उल्लेखित है) जमा करेंगे। (बोलीदाता/क्रेता अपने मोबाइल नंबर एवं ई–मेल आईडी का उपयोग करके ई–नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण करें। केवाईसी सत्यापन किया जाएगा, बोलीदाता आवश्यक केवाईसी दस्तावेज अपलोड करें, जिन्हें **मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसमें 02 कार्य दिवस लग सकते हैं)। ईएमडी का भुगतान **मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड** के पास उसकी नीलामी साइट पर पंजीकृत बोलीदाता के स्वयं के वॉलेट में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा। आगे के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड** की साइट देखें। यहां प्रतिभूत ऋणदाता को ज्ञात संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाता को अपनी बोली जमा करने से पूर्व, नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति के ऋणभार, स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देनदारियों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे गठित करते हुए माना जाएगा। संपत्ति बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी विद्यमान तथा भविष्य के ऋणभारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तरह से छपाई की त्रुटि या किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री, **https://baanknet.com/** तथा **https://www.sbi.co.in** के अंतर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी।

प्राधिकृत अधिकारी, मोबा.: 82199–96108

तिथि : 10–09–2026 — स्थान : शिमला (हिमाचल प्रदेश) — प्राधिकृत अधिकारी

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालयः आरके टॉवर ऑफिस कॉम्प्लेक्स, वुडरो स्कूल के सामने, पीलीभीत बाईपास रोड़, बरेली 243006.

विमोचन सूचना

विषयः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13 (8) के अंतर्गत विमोचन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सूचना।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधान जो कि सरफेसी नियमों के नियम 8(6) के साथ पठित है, के अनुपालन में, आप सभी को एतद्द्वारा सुरक्षित संपत्तियों, जोकि सुरक्षित लेनदार के अधिग्रहण में है, को इस सूचना की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, अपनी देनदारी का निर्वहन करके मुक्त और पुनः प्राप्त करने का अंतिम और आखिरी अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर अधिनियम के तहत बिक्री सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की जायेगी जिसमें सुरक्षित संपत्तियों को बेचने के लिए नीचे निम्नलिखित विधियों में से एक को निर्दिष्ट किया जाएगाः (1). समान सुरक्षित संपत्तियों का निस्तारण करने वाले या संपत्तियों को खरीदने में अन्यथा रुचि रखने वाले व्यक्तियों से कोटेशन प्राप्त करके या, (2). जनता से निविदाएं निमंत्रित करके या, (3). ई–नीलामी विधि के माध्यम सहित सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके या, (4). निजी संधि द्वारा अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार, आप समाचार पत्रों में बिक्री सूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के हकदार हैं, किंतु ऐसा करने में विफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार बंधककृत संपत्ति को ऋणमुक्त करने का आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा।

क्रं. सं.	शाखा/ कर्जदार / जमानतकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि / विमोचन सूचना की तिथि	बकाया राशि
1.	शाखाः शाहजहाँपुर (डीपी कोडः 18644) 1. मेसर्स खान ट्रेडर्स (प्रो. श्री नाशिर खान), बीबीआई जरी हदफ, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश–242001. 2. श्री नशीर खान पुत्र श्री नजीर खान उर्फ नादिर खान, मकान नं. 90, बीबी जई हदफ, किसान पब्लिक स्कूल के पास, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश– 242001. 3. श्री शकीलुद्दीन पुत्र श्री मिर्जा जलालुद्दीन, मोहल्ला रंगीन चौपाल, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश–242001. पता 2ः आवासीय मकान, खसरा नं. 3 ग्राम छतौन्ना परगन्ना और तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर।	18.03.2026 22.05.2026 07.09.2026	रू. 30,47,128.95 (रू. तीस लाख सैंतालिस हजार एक सौ अट्ठाईस और पैसा पिचानवे मात्र) दिनांक 17.03.2026 तक और इसके बाद का ब्याज, खर्चे, अन्य प्रभार के साथ भुगतान।
2.	शाखाः लखीमपुर खीरी (डीपी कोडः 2910) श्री अतुल कुमार पुत्र विष्णु दयाल, प्लॉट नं. 16, शास्त्री नगर, लखीमपुर तहसील, परगना और जिला खीरी, उत्तर प्रदेश 262701. श्रीमती मधु पत्नी अतुल कुमार, प्लॉट नं. 16, शास्त्री नगर, लखीमपुर तहसील, परगना और जिला खीरी, उत्तर प्रदेश 262701. श्री संतोष कुमार शुक्ला पुत्र स्वर्गीय गोविंद प्रसाद शुक्ला, गली पदुम महराज, ज्योति कुंज, अर्जुन पुरवा, लखीमपुर, जिला खीरी उत्तर प्रदेश – 262701. संपत्ति का पताः प्लॉट नंबर 16 का जुज भाग मोहल्ला शास्त्री नगर सिटी, लखीमपुर तहसील लखीमपुर परगना और जिला खीरी।	24.06.2026 25.08.2026 07.09.2026	रू. 5,23,070.62 (रू. पांच लाख तेईस हजार सत्तर और पैसा बासठ मात्र) दिनांक 31.05.2026 तक और इसके बाद का ब्याज, खर्चे, अन्य प्रभार के साथ भुगतान।
3.	शाखाः लखीमपुर खीरी (डीपी कोडः 2910) श्रीमती शोभा देवी पत्नी दीपक कुमार भार्गव, प्लॉट नंबर 52बी मोहल्ला सरदार नगर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश 262701. श्रीमती उषा देवी भार्गव पत्नी स्वर्गीय मगन लाल भार्गव, प्लॉट नंबर 52बी मोहल्ला सरदार नगर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश 262701 श्री दीपक कुमार भार्गव पुत्र स्वर्गीय मगन लाल भार्गव, प्लॉट नंबर 52बी मोहल्ला सरदार नगर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश 262701 श्री धीरेंद्र कुमार भार्गव पुत्र स्वर्गीय मगन लाल भार्गव, प्लॉट नंबर 52बी मोहल्ला सरदार नगर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश 262701 श्रीमती नितु भार्गव पत्नी राम कुमार, मोहल्ला पश्चिमी दीक्षिताना, गोला गोकरन नाथ, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश 262701 पता 2ः मकान प्लॉट नंबर 52बी मोहल्ला सरदार नगर सिटी और जिला लखीमपुर।	23.06.2026 25.08.2026 07.09.2026	रू. 2,86,507.63 (रू. दो लाख छियासी हजार पांच सौ सात और पैसा तिरेसठ मात्र) दिनांक 31.05.2026 तक और इसके बाद का ब्याज, खर्चे, अन्य प्रभार के साथ भुगतान।
4.	शाखाः लखीमपुर खीरी (डीपी कोडः 2910) मेसर्स विवेक मेडिकल, प्रो. विवेक कुमार वर्मा, इरा रोड, सलेमपुर, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश– 262701. श्री विवेक कुमार वर्मा पुत्र सोबरन लाल वर्मा, इरा रोड सलेमपुर, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश–262701. श्री मोहम्मद तारिक पुत्र मोहम्मद यासीन, मो नौरंगाबाद, जिला लखीमपुर खीरी– 262701. संपत्ति का पताः प्लॉट नंबर 13, गाटा संख्या–1407 का हिस्सा, ग्राम राजापुर, तहसील लखीमपुर जिला–खीरी (पिनकोड 262701) पर स्थित है।	04.06.2026 06.08.2026 07.09.2026	रू. 61,56,205.36 (रू. इकसठ लाख छप्पन हजार दो सौ पांच और पैसा छत्तीस मात्र) दिनांक 31.05.2026 तक और इसके बाद का ब्याज, खर्चे, अन्य प्रभार के साथ भुगतान।
5.	शाखाः शाहजहांपुर (डीपी कोडः 2837) श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता पत्नी राजीव कुमार गुप्ता, मो. औलादगंज मण्डी साण्डी, हरदोई, बिलग्राम, उत्तर प्रदेश–241403. राजीव कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश चंद्र गुप्ता, रायल एनफील्ड एजेंसी के सामने, ग्राम मौजमपुर बरेली मोड़, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश–242001. संपत्ति का पताः आवासीय मकान गाटा नं. 155 के भाग पर, ग्राम मौजमपुर, परगना और तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर (यूपी) में स्थित है।	17.02.2026 02.05.2026 07.09.2026	रू. 9,83,549 (रू. नौ लाख तिरासी हजार पांच सौ उड़नचास मात्र) दिनांक 16.02.2026 तक और इसके बाद का ब्याज, खर्चे, अन्य प्रभार के साथ भुगतान।
6.	शाखाः राजेन्द्र नगर (डीपी कोडः 2838) मेसर्स सारस एरोमैटिक्स, प्रो. राम आश्रय सिंह, ए 899 राजेंद्र नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश 243122. श्री राम आश्रय सिंह पुत्र श्री दीप सिंह, ए 899 राजेंद्र नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश 243122. श्री विकल्प पुत्र राम आश्रय सिंह, ए 899 राजेंद्र नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश 243122. पता 2ः मकान नं. ए 899, मोहल्ला राजेंद्र नगर आवास विकास कॉलोनी (रतन स्वीट्स से इंदिरा नगर की रोड़ पर) बरेली उत्तर प्रदेश 243122.	05.06.2026 05.08.2026 07.09.2026	रू. 55,30,589.67 (रू. पचपन लाख तीस हजार पांच सौ नवासी और सड़सठ मात्र) दिनांक 05.06.2026 तक और इसके बाद का ब्याज, खर्चे, अन्य प्रभार के साथ भुगतान।
7.	शाखाः ढाका जे पूरनपुर (डीपी कोडः 5377) मैसर्स शाह जी फर्निचर हाउस, प्रो. नफीस अहमद, मोह चौक शेरपुर रेलवे फाटक के पास, पोस्ट पूरनपुर तह पूरनपुर जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश– 262122. श्री नफीस अहमद पुत्र शफीक अहमद, मोह साहूकारा लाइन पार, पोस्ट पूरनपुर तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश– 262122. श्री खतीब अहमद पुत्र शफीक अहमद, मोह साहूकारा लाइन पार, पोस्ट पूरनपुर तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश– 262122. पता 2ः आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 803 मो साहूकारा धनाराघाट रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास पूरनपुर तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में स्थित है।	08.06.2026 11.08.2026 07.09.2026	रू. 13,03,803.76 (रू. तेरह लाख तीन हजार आठ सौ तीन और छिहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 31.05.2026 तक और इसके बाद का ब्याज, खर्चे, अन्य प्रभार के साथ भुगतान।

दिनांकः 11.09.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक